चंद गुप्ता जे. के समक्ष

ग्राम पंचायत गाँव पलुवास - याचिकर्ता

बनाम

महाराणा पर्टअप चैरिटेबल ट्रस्ट भिवानी और अन्य - उत्तरदाताओ

सिविल पूरनिक्षण संख्या 2010 का 1774

25 अप्रैल, 2011

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 227 - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश 39 नियम 1 और 2 और धारा 151-पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) नियम, 1964-नियम 13-विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963-धारा 41(बी)-पंचायत भूमि को उपहार में देने का संकल्प करने वाली ग्राम पंचायत शैक्षणिक संस्थान चलाने के लिए एक ट्रस्ट को - सरकार नियम 13(1) के तहत पंचायत के प्रस्ताव को मंजूरी दे रही है - राजस्व अधिकारी ट्रस्ट के पक्ष में उत्परिवर्तन को मंजूरी दे रहे हैं - उपहार विलेख न तो निष्पादित किया गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकृत किया गया है - ग्राम पंचायत अपने पहले के प्रस्ताव को रद्द कर रही है - शीर्ष अदालत का फैसला नियम I3(1) अधिकारातीत है, जिसके तहत भूमि पंचायत द्वारा उपहार में दी गई थी और अनिवार्य निषेधाज्ञा से राहत चाहने वाले सरकार-वादी/ट्रस्ट द्वारा अनुमोदित की गई थी - निचली अदालतें वादी के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा दे रही हैं - सिविल कोर्ट के पास राजस्व अधिकारियों को कानून के अनुसार आगे बढ़ने से रोकने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है - ग्राम पंचायत द्वारा पारित पूर्व प्रस्ताव अमान्य हो गया है और वादी भूमि में किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं - वादी द्वारा दायर मुकदमा कायम रखने योग्य नहीं है, इसलिए, विज्ञापन अंतरिम निषेधाज्ञा की विवेकाधीन राहत पाने का हकदार नहीं है - याचिका की अनुमति दी गई, निचली अदालतों के आदेशों को रद्द कर दिया गया और अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश के लिए वादी के आवेदन को खारिज कर दिया गया।

निर्णीत, प्रथम दृष्टया, जब मुकदमा चलने योग्य नहीं है और सिविल कोर्ट के पास राजस्व अधिकारियों को कानून के अनुसार आगे बढ़ने से रोकने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि 1963 अधिनियम की धारा 41 (बी) के मद्देनजर ऐसी कोई राहत नहीं दी जा सकती है और इसलिए, जब उत्तरदाताओं-वादी को मुख्य राहत नहीं दी जा सकती है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उनके पास अंतरिम निषेधाज्ञा की विवेकाधीन राहत मांगने का कोई अधिकार है। प्रथम दृष्टया मामला प्रतिवादी-वादी के पक्ष में नहीं बनता है, सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में नहीं है। बल्कि प्रथम दृष्टया मामला याचिकाकर्ता-ग्राम पंचायत के पक्ष में है, सुविधा का संतुलन भी याचिकाकर्ता-ग्राम पंचायत के पक्ष में है। प्रतिवादी-वादी को वास्तविक मालिक, यानी याचिकाकर्ता-ग्राम पंचायत के खिलाफ निषेधाज्ञा मांगने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत अभी भी विवाद में भूमि का मालिक है और स्वामित्व को कानून के अनुसार प्रतिवादी-वादी के पक्ष में हस्तांतरित नहीं किया गया है। पंजीकृत उपहार विलेख. लीनी, उन्हें असली

मालिक के खिलाफ निषेधाज्ञा मांगने का कोई अधिकार नहीं है, जो कानून के अनुसार कार्यवाही कर रहे हैं, क्योंकि कार्यवाही राजस्व अधिकारियों के समक्ष और सरकारी अधिकारियों के समक्ष पहले के उत्परिवर्तन को रद्द करने / रद्द करने और पहले दी गई मंजूरी को रद्द करने के लिए लंबित है। ग्राम पंचायत द्वारा उत्तरदाताओं-वादीगणों के पक्ष में उपहार बनाने के लिए और उस संबंध में वित्तीय आयुक्त द्वारा उत्तरदाताओं-वादीगणों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। इसलिए, प्रतिवादियों-वादीगणों को विवादग्रस्त भूमि पर आगे निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि प्रथम दृष्टया विवादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा कानूनी नहीं है और वे उस पर अनधिकृत कब्जे में हैं।

(पैरा 33)

एन. आर. दाहिया, अधिवक्ता याचिकर्ता के लिये।

एम. एल. सरीन, वरिष्ठ अधिवक्ता और उनके साथ नितिन सरीन अधिवक्ता, उत्तरदाताओ के लिये

के . सी . गुप्ता , डीएजी, हरियाणा

राम चंद गुप्ता जे.

1. वर्तमान पुनरीक्षण याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 (इसके बाद 'संहिता' के रूप में संदर्भित) के तहत दिनांक 8 अगस्त 2006 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, अनुलग्नक पीएल विद्वान अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन,भिवानी द्वारा पारित -जिसके तहत उत्तरदाताओं-वादी द्वारा दायर संहिता के आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश के लिए आवेदन को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी और वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था और साथ ही टोर सेटिंग भी की गई थी। आदेश दिनांक 6 अगस्त, 2009 को रद्द कर दिया गया, अनुलग्नक पी 2 - जिसके माध्यम से पता चला कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, भिवानी ने उत्तरदाताओं-वादी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

2. मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और नीचे दिए गए विद्वान न्यायालयों द्वारा पारित किए गए आदेशों सहित पूरे रिकॉर्ड को ध्यान से देखा है।

3. वर्तमान पुनरीक्षण याचिका के निर्णय के लिए प्रासंगिक संक्षिप्त तथ्य यह है कि उत्तरदाताओं-वादी द्वारा अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था जिसमें याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 1 को वादी संख्या 1 के पक्ष में उपहार विलेख निष्पादित करने और पंजीकृत करने का निर्देश दिया गया था - भूमि के संबंध में विधिवत वर्णित ट्रस्ट वादपत्र का शीर्षक, वर्ष 2000-01 की जमाबंदी के अनुसार कुल माप 237 कनाल 02 मरला, जो गांव पालुवास तहसील

और जिला भिवानी में स्थित है और इस आशय की घोषणा के लिए अतिरिक्त राहत है कि याचिकाकर्ता द्वारा संकल्प संख्या 1 दिनांक 6 मई, 2006 पारित किया गया है। -प्रतिवादी संख्या 1 अधिकार क्षेत्र के बिना अवैध रूप से शून्य और शून्य है और संकल्प संख्या 1 दिनांक 8 अगस्त 2001 के विपरीत है और वर्तमान याचिकाकर्ता-प्रतिवादी संख्या 1 को इस संकल्प पर कार्य करने से रोकते हुए और उन्हें उत्परिवर्तन संख्या 9387 को उलटने और अलग करने से रोकते हुए स्थायी निषेधाज्ञा की राहत दी गई है। उत्तरदाताओं-वादीगणों के पक्ष में उपहार के संबंध में दिनांक 20 दिसंबर 2001। विश्वास मांगा गया है।

4. प्रतिवादी-वादी द्वारा यह कहा गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 विधिवत ट्रस्ट गठित है - ट्रस्ट डीड दिनांक 13 जुलाई 2000 के माध्यम से। याचिकाकर्ता- ग्राम पंचायत ने विवादग्रस्त भूमि प्रतिवादी-ट्रस्ट को उपहार के रूप में देने के लिए दिनांक 8 अगस्त 2001 को एक प्रस्ताव पारित किया। . यह प्रस्ताव नियमों के अनुसार राज्य सरकार की मंजूरी के अधीन था और उपायुक्त भिवानी की सिफारिश पर, हरियाणा सरकार द्वारा कुछ शर्तों पर प्रतिवादी-ट्रस्ट को भूमि के उपहार को मंजूरी देते हुए अपेक्षित मंजूरी दी गई थी। 24 जनवरी 2002 को एक और प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पारित किया गया था और भूमि का कब्ज़ा 19 दिसंबर 2001 को प्रतिवादी-ट्रस्ट को सौंप दिया गया था। म्यूटेशन संख्या 93 87 दिनांक 20 दिसंबर 2001 को भी प्रतिवादी-ट्रस्ट के पक्ष में मंजूरी दे दी गई है। सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के आधार पर. तब से प्रतिवादी-ट्रस्ट का उस पर कब्जा बना हुआ है और उसने निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है और एक शैक्षणिक संस्थान भी चला रहा है। इससे पहले गांव के कुछ निवासियों द्वारा इस न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका दायर की गई थी, जिसमें ग्राम पंचायत के उक्त प्रस्ताव और सरकार द्वारा विवादित भूमि को प्रतिवादी-ट्रस्ट को उपहार में देने की मंजूरी को चुनौती दी गई थी, हालांकि उक्त रिट याचिका को निरर्थक मानते हुए खारिज कर दिया गया था। पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (विनियमन) की धारा 5ए में संशोधन, हरियाणा संशोधन अधिनियम. ग्रामीणों ने इस न्यायालय की एकल पीठ के उक्त फैसले के खिलाफ पत्र पेटेंट अपील भी दायर की और हालांकि पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) की उक्त संशोधित धारा 5 ए के अधिकार को चुनौती देने के लिए उन्हें स्वतंत्रता देते हुए निष्प्रभावी के रूप में खारिज कर दिया गया। हरियाणा संशोधन अधिनियम।

5. याचिकाकर्ता-प्रतिवादी ने मुकदमे के साथ-साथ निषेधाज्ञा आवेदन का भी अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर विरोध किया कि यह मुकदमा वर्तमान स्वरूप में कायम रखने योग्य नहीं है और सिविल न्यायालय के पास वर्तमान मुकदमे की सुनवाई और निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता-ग्राम पंचायत विवाद में भूमि का मालिक है और अधिनियमों और नियमों के अनुसार पिछला प्रस्ताव वैध रूप से पारित नहीं किया गया था और ग्राम पंचायत की भूमि को तत्कालीन सरपंच द्वारा अवैध रूप से प्रतिवादी-ट्रस्ट को उपहार में दे दिया गया था। 8 अगस्त, 2001 के उक्त प्रस्ताव को ग्राम पंचायत द्वारा

6 मई 2006 के बाद के प्रस्ताव द्वारा रद्द कर दिया गया है और ग्राम पंचायत एक अवैध प्रस्ताव को रद्द करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। प्रतिवाद में यह भी दावा किया गया है कि प्रतिवादी-वादी को विवादित भूमि का कब्जा याचिकाकर्ता-ग्राम पंचायत को सौंपने और उत्परिवर्तन संख्या 9387 दिनांक 20 दिसंबर 2001 को रद्द करने का निर्देश दिया गया है। दलील यह भी दी गई है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिवादी-ट्रस्ट के पक्ष में उपहार विलेख निष्पादित नहीं किया गया है, इसलिए ट्रस्ट के पक्ष में स्वीकृत उत्परिवर्तन भी अवैध है। यह भी उल्लेख किया गया है कि भूमि का कुछ भाग पशु मेले के लिए ठेके पर दिया जाता था और शेष भूमि ग्राम पंचायत द्वारा कृषि प्रयोजन के लिए पट्टे पर दी जाती थी।

6. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने उत्तरदाताओं-वादी द्वारा संहिता के आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत दायर विज्ञापन अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए आवेदन को आंशिक रूप से यह देखते हुए अनुमति दी कि 8 अगस्त 2001 के समाधान तक उत्तरदाताओं-वादी को विवाद में भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है। सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया। हालाँकि, उत्तरदाताओं-वादी द्वारा प्रतिवादियों को म्यूटेशन नंबर 9387 को रद्द करने से रोकने के लिए मांगी गई राहत को अस्वीकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता-प्रतिवादी द्वारा उत्तरदाताओं-वादी को विवाद में संपत्ति पर कोई और निर्माण करने से रोकने के लिए दायर आवेदन खारिज कर दिया गया था और उन्हें आगे निर्माण करने की अनुमति दी गई थी। शर्त यह है कि यदि वे योग्यता के आधार पर अपना मामला साबित करने में विफल रहते हैं तो वे अपने द्वारा किए गए निर्माण के मुआवजे का दावा नहीं करेंगे।

7. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के विरुद्ध सभी पक्षों द्वारा दायर अपील में विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, भिवानी। उत्तरदाताओं-वादी और प्रतिवादी संख्या 7 हरियाणा राज्य द्वारा दायर निषेधाज्ञा आवेदन को भी उत्परिवर्तन संख्या 9387 की समीक्षा करने से रोक दिया गया था।

8. याचिकाकर्ता-ग्राम पंचायत के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि ग्राम पंचायत द्वारा शैक्षणिक संस्थान चलाने के लिए प्रतिवादी-ट्रस्ट को बिना किसी विचार के 237 कनाल 02 मरला पंचायत भूमि उपहार में देने का पिछला प्रस्ताव अवैध है और पंजाब के अनुरूप नहीं है। ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम 1961 (बाद में इसे 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू होता है और उसके तहत बनाए गए नियम। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता-ग्राम पंचायत उक्त प्रस्ताव को रद्द करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और वास्तव में उक्त प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है और नया प्रस्ताव पारित किया गया है। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि केवल इस आधार पर कि पिछले प्रस्ताव को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था, यह नहीं कहा जा सकता है कि विवाद में भूमि पर अधिकार प्रतिवादी-वादी में निहित हैं क्योंकि माना जाता है कि कोई उपहार विलेख निष्पादित

या पंजीकृत नहीं किया गया है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम (इसके बाद इसे 'टीपी अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 123 के अनुसार विवाद में भूमि में उत्तरदाताओं-वादी के पक्ष में ग्राम पंचायत और अधिकारों को वैध रूप से उत्तरदाताओं-वादी के पक्ष में स्थानांतरित नहीं किया गया है। आगे यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता-ग्राम पंचायत पहले के प्रस्ताव को रद्द करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। यह भी तर्क दिया गया है कि इसके अलावा विवाद में भूमि को उत्तरदाताओं-वादी को उपहार में देने का पिछला प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) रूल्स 1964 (इसके बाद 'नियमों के रूप में संदर्भित) के नियम 13 के तहत कार्य करके पारित किया गया था। हरियाणा राज्य पर लागू। हालाँकि, बीएल वढेरा बनाम भारत संघ और अन्य (1) मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 5ए के अनुरूप नहीं होने के कारण उक्त नियम को असंवैधानिक माना गया था। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि ग्राम पंचायत के उक्त प्रस्ताव को चुनौती देने वाली कुछ ग्रामीणों द्वारा दायर पूर्व रिट याचिका को इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान हरियाणा सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 5 ए में संशोधन के मद्देनजर इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं को उक्त संशोधन की शक्तियों को चुनौती देने की स्वतंत्रता। हालाँकि, हरियाणा सरकार द्वारा पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) हरियाणा संशोधन अधिनियम 2007 के माध्यम से धारा 5 ए को फिर से संशोधित किया गया है और अधिनियम की पिछली धारा 5 ए और 5 बी को बहाल कर दिया गया है और इसलिए यह तर्क दिया गया है कि जब पहले का संकल्प इसके अनुरूप नहीं है। अधिनियम और नियमों का प्रावधान और यह अवैध है। याचिकाकर्ता-ग्राम पंचायल को गैरकानूनी तरीके से उत्तरदाताओं-वादी के पक्ष में उपहार बनाने वाले उक्त प्रस्ताव को रद्द करने का पूरा अधिकार है।

9. आगे यह तर्क दिया गया है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा उत्तरदाताओं-वादी के पक्ष में ग्राम पंचायल द्वारा उपहार विलेख के पंजीकरण के निष्पादन के बिना भी उत्परिवर्तन को कानूनी रूप से मंजूरी दे दी गई थी और ग्राम पंचायत ने उक्त उत्परिवर्तन की समीक्षा के लिए एक याचिका दायर की है। जिसके लिए उत्तरदाताओं-वादीगणों को नोटिस जारी किया गया था और सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपमंडल अधिकारी (ना.)भिवानी द्वारा उक्त उत्परिवर्तन को रद्द करने की सिफारिश करते हुए आदेश पारित किया गया था। आगे यह तर्क दिया गया कि मामला अभी भी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, हालांकि, निचली अदालतों द्वारा जारी निषेधाज्ञा के कारण कोई आदेश पारित नहीं किया जा सका। आगे यह तर्क दिया गया है कि राजस्व अधिकारी उत्परिवर्तन की समीक्षा के लिए उचित आदेश पारित करने में सक्षम हैं, जिसे अवैध रूप से मंजूरी दी गई थी।

10. आगे यह तर्क दिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती गोमतीबाई (मृत) के माध्यम से एलआर और अन्य बनाम मट्टूलाल (मृत) के माध्यम से एलआर (2) के मामले में तय किए गए कानूनी प्रस्ताव के मद्देनजर, एक उपहार तभी पूरा होता है जब वह इसके

अनुसार पंजीकृत हो। टीपी अधिनियम की धारा 123 और चूंकि, माना जाता है कि प्रतिवादी-वादी के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा कोई उपहार विलेख निष्पादित और पंजीकृत नहीं किया गया है, वे विवाद में भूमि के मालिक नहीं बने हैं और इसलिए उन्हें वर्तमान मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।

11. आगे यह तर्क दिया गया है कि उत्तरदाताओं-वादी को विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 (इसके बाद '1963 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत अनिवार्य निषेधाज्ञा से राहत पाने का कोई अधिकार नहीं है, जो याचिकाकर्ता-ग्राम पंचायत को उपहार विलेख निष्पादित करने और पंजीकृत करने का निर्देश देता है। पक्ष और इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि यह मुकदमा चलने योग्य नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि 1963 अधिनियम की धारा 41 (बी) के अनुसार, निचली अदालतें राजस्व अधिकारियों को पहले के उत्परिवर्तन को रद्द करने या समीक्षा करने के लिए आगे बढ़ने से नहीं रोक सकतीं, क्योंकि राजस्व न्यायालय इस संबंध में सिविल न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है। इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामले। यह भी तर्क दिया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता-ग्राम पंचायत आज तक विवाद में भूमि का मालिक है, इसलिए उत्तरदाताओं-वादी को वास्तविक मालिक के खिलाफ निषेधाज्ञा मांगने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि विवाद में उत्तरदाताओं-वादी का कब्जा बिना किसी कानूनी अधिकार के है और उनका कब्ज़ा अनधिकृत कहा जा सकता है। इस बिंदु पर उन्होंने प्रेमजीत रतनसे शाह और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य (3), और कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड और अन्य (4) पर भी भरोसा जताया है।

12. उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि हाल ही में जगपाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य में दिए गए फैसले में, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सीसी संख्या से उत्पन्न 2011 की सिविल अपील संख्या 1132 @ एसएलपी (सी) संख्या 3109 2011 में पारित किया गया था। 19869/2010 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश की सभी राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध/अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिए एक योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं और निर्देश दिया है कि भूमि को ग्राम पंचायत को बहाल किया जाना चाहिए। गाँव के ग्रामीणों का सामान्य उपयोग। फैसले का प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार है:-

> *"22. इस मामले से अलग होने से पहले हम देश की सभी राज्य सरकारों को निर्देश देते हैं कि वे ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/पोरम्बोक/शामलात भूमि के अवैध/अनधिकृत कब्जेदारों को बेदखल करने के लिए योजनाएं तैयार करें और इन्हें ग्राम को वापस लौटाया जाए। गांव के ग्रामीणों के सामान्य उपयोग के लिए सभा/ग्राम पंचायत। इस उद्देश्य के लिए भारत में सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की*

मदद लेते हुए आवश्यक कार्य करने का निर्देश दिया गया है। उक्त योजना को लागू किया जाना चाहिए। ऐसे अवैध कब्जेदार को कारण बताओ नोटिस और एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद शीघ्र बेदखल करने का प्रावधान करें। ऐसे अवैध कब्जे की लंबी अवधि या उस पर निर्माण करने में भारी खर्च या राजनीतिक संबंधों को इस अवैध कार्य को माफ करने के औचित्य के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। या अवैध कब्जे को नियमित करने के लिए। नियमितीकरण की अनुमति केवल असाधारण मामलों में दी जानी चाहिए, उदाहरण के लिए जहां भूमिहीन मजदूरों या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को कुछ सरकारी अधिसूचना के तहत पट्टा दिया गया है, या जहां पहले से ही एक स्कूल डिस्पेंसरी या अन्य सार्वजनिक उपयोगिता है भूमि।"

13. यह आगे तर्क दिया गया है कि जहां तक पांच ग्रामीणों द्वारा उनकी व्यक्तिगत क्षमता में दायर की गई पिछली रिट याचिका को खारिज करने का सवाल है, तो इसे अधिनियम की धारा 5 ए में संशोधन के मद्देनजर, निष्फल और गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया गया था और इसलिए, प्रतिवादी -वादीगण को इसका कोई लाभ नहीं मिल सकता।

14. आगे यह तर्क दिया गया है कि जब मुकदमा ही चलने योग्य नहीं है और जब वादी-प्रतिवादियों को जवाब देने के लिए मुख्य राहत नहीं दी जा सकती है, तो वे निषेधाज्ञा की विवेकाधीन राहत के हकदार नहीं हैं। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश के लिए उत्तरदाताओं-वादी द्वारा दायर आवेदन को अनुमति देने और याचिकाकर्ताओं-प्रतिवादियों द्वारा दायर आवेदन को खारिज करने में निचली अदालतों द्वारा अवैधता और भौतिक अनियमितता की गई है।

15. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं-वादीगणों के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में यह न्यायालय नीचे के न्यायालयों द्वारा पारित आदेश में केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है यदि अधिकार क्षेत्र के बिना नीचे के न्यायालयों द्वारा शक्ति का प्रयोग किया गया हो या यदि आदेश दिया गया हो। अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ पारित किया गया है और, हालांकि, यह तर्क दिया गया है कि आक्षेपित आदेश को किसी भी तरह से अवैध नहीं कहा जा सकता है और बल्कि प्रतिवादी-वादी को अपने बसे हुए कब्जे की रक्षा करने का अधिकार है। यह भी तर्क दिया गया है कि एक बार ग्राम पंचायत द्वारा उत्तरदाताओं-वादी को उपहार देने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और एक बार नियमों के अनुसार सरकार द्वारा उपहार को मंजूरी दे दी गई है, तो प्रतिवादियों को उक्त उपहार को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें भी रोक दिया गया है।

अपने कार्य और आचरण से उक्त उपहार को रद्द करने से। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि उत्तरदाताओं-वादी को उपहार विलेख को निष्पादित करने और पंजीकृत करने का निर्देश देने वाले प्रतिवादियों के खिलाफ अनिवार्य निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार है और उन्हें प्रतिवादियों के खिलाफ निषेधाज्ञा प्राप्त करने का भी अधिकार है जो उन्हें पहले से ही स्वीकृत उत्परिवर्तन को रद्द करने से रोकता है। कृपादृष्टि। उन्होंने प्रबंध निदेशक (एमआईजी) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बालंगा हैदराबाद और एक अन्य बनाम अजीत प्रसाद तारवे प्रबंधक (खरीद और स्टोर) हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बालानगर हैदराबाद (5) मामले में होम्बले एपेक्स कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर भी भरोसा जताया है। संहिता की धारा 115 के तहत हस्तक्षेप करने का इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित है।

16. उन्होंने प्रॉमिसरी एस्टॉपेल की दलील पर मेसर्स गणपति शॉपिंग मॉल प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (6) पर भी भरोसा जताया है।

17. उन्होंने आगे तर्क दिया है कि एक बार जब ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार दिया गया उपहार सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है, तो उपहार पूरा हो जाता है और प्रतिवादी-वादी उसके मालिक बन जाते हैं। इस बिंदु पर उन्होंने ईशम सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (7) पर भरोसा जताया है।

18. विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी तर्क दिया है कि विवाद में भूमि के हिस्से के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है और उक्त अधिसूचना को इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके उत्तरदाताओं-वादी द्वारा चुनौती दी गई है और, हालांकि, उक्त अधिसूचना याचिकाकर्ता-ग्राम पंचायत द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और उक्त रिट याचिका में, विवाद में भूमि से उत्तरदाताओं-वादी की बेदखली पर रोक लगा दी गई है।

19. मामले के स्वीकृत तथ्य यह हैं कि 8 अगस्त 2001 के अनुलग्नक पी 4 को ग्राम पंचायत द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था - जिसके अनुसार ग्राम पंचायत की विवादित भूमि 237 कनाल 03 मरले को महाराणा प्रताप चैरिटेबल ट्रस्ट को उपहार के रूप में देने का निर्णय लिया गया था। ट्रस्ट के उद्देश्य से भिवानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज और अन्य ऐसी इमारतों की स्थापना के उद्देश्य से निःशुल्क। ग्राम पंचायत के उक्त प्रस्ताव को हरियाणा सरकार द्वारा नियमों के नियम 13(1) के तहत आदेश दिनांक 18 दिसंबर 2001 अनुबंध पी-6 द्वारा अनुमोदित किया गया था। हालाँकि, उक्त नियम जिसके तहत भूमि ग्राम पंचायत द्वारा उत्तरदाताओं-वादी को उपहार में दी गई थी और जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था, को बीएल वढेरा के मामले (सुप्रा) में होइबल एपेक्स कोर्ट द्वारा इस आधार पर अधिकारातीत माना गया था कि यह इसका अधिनियम की धारा 5ए और 5बी उल्लंघन है। इसके प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार हैं:

"(30) अधिनियम की धारा 4 पंचायत और गैर-मालिकों को अधिकार प्रदान करने से संबंधित है। धारा 5 के तहत अधिनियम के तहत पंचायत में निहित या निहित समझी जाने वाली सभी भूमि का उपयोग या निपटान पंचायत द्वारा निर्धारित तरीके से संबंधित गांव के निवासियों के लाभ के लिए किया जाएगा। जहां दो या दो से अधिक गांवों में एक आम पंचायत है, वहां प्रत्येक गांव के शामलात देह का उपयोग और निपटान उस गांव के निवासियों के लाभ के लिए पंचायत द्वारा किया जाएगा। बशर्ते कि यदि किसी गांव में शामलात देह की भूमि का क्षेत्रफल किसी पंचायत में निहित है या माना जाता है कि वह उस गांव के कुल क्षेत्रफल (आबादी देह को छोड़कर) के पच्चीस प्रतिशत से अधिक है, तो पच्चीस प्रतिशत ऐसे कुल क्षेत्र को पंचायत के लिए छोड़ दिया जाएगा और शामलात देह के शेष क्षेत्र में से, ऐसे कुल क्षेत्र के पच्चीस प्रतिशत तक के क्षेत्र का उपयोग भूमिहीन किरायेदारों और बेदखल किए गए या बेदखल किए जाने वाले अन्य किरायेदारों के निपटान के लिए किया जाएगा। उस गांव और शामलात देह के शेष क्षेत्र, यदि कोई हो, का उपयोग उस गांव के छोटे भूमि मालिकों के वितरण के लिए किया जाएगा, जो सहायक द्वारा हरियाणा भूमि जोत सीमा अधिनियम 1972 के तहत अनुमेय क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों के अधीन होगा। प्रथम श्रेणी के कलेक्टर) पंचायत के परामर्श से (ऐसे तरीके से और ऐसी राशि के भुगतान पर) जो निर्धारित किया जा सकता है। यदि राज्य सरकार की राय में संबंधित गांव के निवासियों के लाभ के लिए बेहतर उपयोग हेतु उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए किसी शामलात देह को अपने हाथ में लेना आवश्यक है तो सरकार अधिसूचना द्वारा एक अवधि के लिए ऐसे शामलात देह का प्रबंधन अपने हाथ में ले सकती है। बीस वर्ष से अधिक नहीं. अधिनियम की धारा 5ए के तहत. पंचायत अधिनियम के तहत निहित शामलात देह की भूमि को उस गांव के अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के सदस्यों को, जिसमें ऐसी भूमि स्थित है, ऐसे नियमों और शर्तों पर उपहार में दे सकती है, जो निर्धारित की जा सकती हैं। शामलात देह में भूमि का दान पहले ही धारा 5ए की उपधारा (1) के तहत किया हुआ माना जाएगा। अधिनियम की धारा 5बी में निर्धारित किया गया है कि धारा 5ए के प्रावधानों के अनुसरण में निर्धारित नियमों और शर्तों के उल्लंघन में उपहार में दी गई भूमि का कोई भी हस्तांतरण शून्य होगा और इस प्रकार हस्तांतरित उपहार में दी गई भूमि सभी से वापस पंचायत वृक्ष में वापस आ जाएगी। रुकावटें अधिनियम की धारा 5 ए और 5 बी को पूर्वव्यापी प्रभाव से हरियाणा संशोधन अधिनियम संख्या 25, 1976 के तहत जोड़ा गया था।

(31) अधिनियम की धारा 15 राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत करती है। अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) के खंड (फीट) के तहत बनाए गए नियम उन शर्तों और शर्तों का प्रावधान कर सकते हैं जिन पर शामलात देह में भूमि हरियाणा के अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के सदस्यों को उपहार में दी जा सकती है।

(32) नियम वर्ष 1964 में बनाए गए थे। नियम 3 में प्रावधान है कि पंचायत अधिनियम के तहत निहित शामलात देह में भूमि की भूमि उपयोग योजना तैयार करेगी और यह खंड विकास और पंचायत अधिकारी का कर्तव्य होगा। उक्त योजना की तैयारी में संबंधित ग्राम पंचायत की सहायता करना, जो पंचायत समिति के अनुमोदन के अधीन होगा, जहां क्षेत्रफल 100 एकड़ से अधिक है, लेकिन 1000 एकड़ से अधिक नहीं है। नियम 3 के उप-नियम (2) के तहत पंचायत अधिनियम के तहत निहित शामलात देह की भूमि का उपयोग स्कूल भवनों के उद्देश्यों सहित उसमें निर्दिष्ट किसी एक या अधिक उद्देश्यों के लिए स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से कर सकती है। शैक्षिक उद्देश्यों के लिए स्कूल पुस्तकालय या कोई अन्य संरचना, प्रसूति या प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और अस्पताल और औषधालय। प्रासंगिक समय में नियम 6 में प्रावधान है कि शामलात देह में भूमि के सभी पट्टों को उप-नियम (10) में निर्धारित तरीके से प्रचार करने के बाद नीलाम किया जाएगा। नीलामी के संबंध में एक विस्तृत प्रक्रिया, जिसे माना जाता है कि वर्तमान मामले में पालन नहीं किया गया है, उक्त नियम में निर्दिष्ट की गई है। नियम 10 में प्रावधान है कि पंचायत शामलात देह में भूमि के उपयोग की अनुमति दे सकती है। गांव के निवासियों को तालाबों में भांग या किसी अन्य पौधे को डुबाने, अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के सदस्यों के आवासीय उद्देश्यों या आजादी के बाद किसी भी युद्ध में मारे गए रक्षा कर्मियों के आश्रितों के लिए नि:शुल्क प्रदान किया गया। वास्तविक मामले में भारत या भूमिहीन मजदूरों या किरायेदारों को गरीबी और किसी अन्य उपयुक्त सामान्य उद्देश्य के आधार पर। नियम 13 में प्रावधान है कि पंचायत सरकार की पूर्व मंजूरी से अस्पताल, औषधालय, या शैक्षिक या धर्मार्थ संस्थानों के प्रयोजनों के लिए या सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए अधिनियम के तहत निहित शामलात देह में भूमि दान कर सकती है। संबंधित गांव के निवासियों के लाभ के लिए होना। पंचायत सरकार की पूर्व मंजूरी से अधिनियम के तहत अपने पास निहित शामलात देह की भूमि को आम स्थानों पर मकानों के निर्माण और सरकार द्वारा अनुमोदित मॉडल ग्राम योजना के तहत अन्य सुविधाएं प्रदान

करने के प्रयोजनों गांव के निवासी के लिए उपहार में दे सकती है। नियम 13 ए में प्रावधान है कि धारा 5 ए के तहत जिन नियमों और शर्तों पर भूमि उपहार में दी जा सकती है, वे इस प्रकार होंगी:

"(ए) दान प्राप्तकर्ता उपहार की तारीख से बीस वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी अन्य तरीके से भूमि को बेच, गिरवी या निपटान नहीं करेगा; बशर्ते कि प्राप्तकर्ता घर के निर्माण के लिए ऋण जुटाने के उद्देश्य से किसी अनुसूचित बैंक या हाउसिंग बोर्ड या सरकार के पास भूमि गिरवी रख सकता है;

(बी) दान प्राप्तकर्ता उपहार की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर भूमि पर एक घर का निर्माण करेगा;

(सी) प्राप्तकर्ता भूमि का उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए करेगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं, और

(डी) प्राप्तकर्ता की मृत्यु के मामले में, उसके कानूनी उत्तराधिकारी उसमें निहित शर्तों से बंधे होंगे।"

(33) यह सच है कि नियम 3 के उप-नियम (2) के तहत पंचायत अधिनियम के तहत निहित शामलात देह की भूमि का उपयोग स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से उसमें निर्दिष्ट किसी या अधिक उद्देश्यों के लिए कर सकती है, लेकिन यह समान रूप से है यह सच है कि उपरोक्त नियम के तहत अधिकार का प्रयोग केवल नियम 3 के उप-नियम (1) के तहत शामलात देह में भूमि की उपयोग योजना तैयार होने के बाद ही किया जा सकता है। रिकॉर्ड पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि ऐसी कोई उपयोग योजना थी उप-नियम (2) के तहत कार्रवाई की गारंटी देते हुए तैयार किया गया। यदि उपरोक्त प्रावधानों का सहारा लिया जाना था, तो भूमि का उपयोग पंचायत के अलावा किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से साइट को पट्टे पर देकर और नियम 6 में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करके किया जा सकता था। ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई प्रतीत होती है तत्काल मामले में।

(34) नियम 13 पंचायत को अस्पताल, औषधालय या शिक्षा या धर्मार्थ संस्थानों के प्रयोजनों के लिए या ऐसे अन्य उद्देश्यों के लिए उपहार देने के लिए अधिकृत करता है जो संबंधित गांव के निवासियों के लाभ के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित हो सकते हैं। ऐसा उपहार केवल सरकार की पूर्व अनुमति से ही दिया जा सकता है। नियम 13 स्पष्ट रूप से राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्तियों के दायरे से परे प्रतीत होता है क्योंकि भूमि उपहार में देने का पंचायत का अधिकार अधिनियम की धारा 5 ए और 5 बी के प्रावधानों द्वारा सीमित है। धारा 15 की उपधारा (2) का खंड (एफएफ)

राज्य सरकार को उन नियमों और शर्तों के संबंध में नियम बनाने के लिए अधिकृत करता है जिन पर अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के सदस्यों को भूमि शामलात भूमि उपहार में दी जा सकती है। धारा 15 राज्य सरकार को अधिनियम की धारा 5ए और 5बी के तहत अपेक्षित व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को भूमि के उपहार के संबंध में नियम बनाने के लिए अधिकृत नहीं करती है। कोई भी नियम जो अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है, उसे प्रभावी नहीं बनाया जा सकता या ग्राम पंचायत में निहित संपत्ति को उपहार में देने का आधार नहीं बनाया जा सकता। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि पंचायत द्वारा प्रस्तावित, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित और अंततः ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए उपहार नियमों के नियम 13ए के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 5 ए और 5 बी के प्रावधानों का उल्लंघन हैं। चूंकि उपहार धारा 5ए और 5बी के अनिवार्य प्रावधानों में निर्दिष्ट लोगों के अलावा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में दिए गए हैं, इसलिए वे शुरू से ही शून्य हैं। उपहार देना स्पष्ट रूप से पंचायत में निहित शक्तियों का दुरुपयोग प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने इस मामले में बहुत ही अनौपचारिक रुख अपनाया है और उन कारणों से मंजूरी दे दी है जो केवल वही जानती है। मामले में राज्य सरकार के दिमाग का उपयोग न करना बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से ग्राम पंचायत और राज्य सरकार ने इस मामले को निपटाया है, उससे पता चलता है कि प्रतिवादी संख्या 7 के श्री चंद्र शेखर चैनन के विशाल राजनीतिक व्यक्तित्व ने उन पर ग्रहण लगा दिया है। उनका विशाल कद ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों और अधिकारियों पर मंडरा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने उन्हें अपने कर्तव्यों के निर्वहन में तथ्यात्मक रूप से निष्क्रिय कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें प्रभावशाली प्रतिवादी के भारी दबाव के आगे झुकना पड़ा।

(35) इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अधिनियम के तहत नियम वर्ष 1964 में बनाए गए थे और 1976 के पंजाब अधिनियम संख्या 25 के तहत धारा 5 ए और 5 बी शामिल किए गए थे। उपरोक्त धाराओं को शामिल करने से पहले, प्रतिवादी- राज्य को नियम 13 में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए शामलात देह से बाहर भूमि उपहार में देने का अधिकार था, लेकिन अधिनियम में संशोधन के बाद नियम 13 निरर्थक हो गया और इसे लागू नहीं किया जा सका क्योंकि इसका प्रयोग अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध होगा जो इसे बनाने के लिए अधिकृत करता है। उपहार केवल उपरोक्त दो अनुभागों में निर्दिष्ट व्यक्तियों के पक्ष में।"

20. बीएल वढेरा के मामले में (सुप्रा) भूमि ग्राम पंचायत द्वारा नियमों के नियम 13 के तहत उपहार में दी गई थी और सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित की गई थी और यहां तक कि उपहार विलेख भी ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित किया गया था, कब्जा भी उस व्यक्ति द्वारा लिया गया था जिसे उपहार देना था दिया जाना चाहिए और इसके बावजूद कि संकल्प और उपहार विलेख को अधिनियम और नियमों के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत माना गया था और नियम शुरू से ही अमान्य थे, यह माना गया कि इससे ग्राम पंचायत के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और प्रतिवादी के पास कोई औचित्य नहीं था विवादास्पद भूमि के किसी भी टुकड़े को अपने कब्जे में रखने के लिए और भूमि का कब्जा ग्राम पंचायत को देने के लिए उत्तरदायी है। इस निर्णय के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह लागू होते हैं।

21. इसलिए, जब पहले का प्रस्ताव जिसके तहत विवादित भूमि पर अधिकार का दावा उत्तरदाताओं-वादी द्वारा किया जाता है, वह वैध नहीं है और अधिनियम और नियमों के अनुसार नहीं है और जब वही शून्य है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि ग्राम पंचायत है उक्त संकल्प को रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। वास्तव में ग्राम पंचायत ने 6 मई 2006 को एक और प्रस्ताव पारित किया है, जिसे इस मुकदमे में प्रतिवादी-वादी द्वारा चुनौती दी गई है। हालाँकि, प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त प्रस्ताव कानूनन ख़राब है।

22. टीपी अधिनियम की धारा 123 के तहत प्रतिवादी-वादी के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा गिल्ट डीड के निष्पादन और पंजीकरण के बिना राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रतिवादी-वादी के पक्ष में विवाद में भूमि का उत्परिवर्तन स्वीकृत किया गया है और इसलिए याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के तर्क में बल है कि प्रतिवादी-वादी केवल इस आधार पर विवाद में भूमि के मालिक नहीं बन सकते हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा उनके पक्ष में भूमि उपहार में देने का प्रस्ताव पारित किया गया था जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था और वह स्वामित्व अभी भी याचिकाकर्ता-ग्राम पंचायत के पास है।

23. प्रतिवादी-वादी के विद्वान वरिष्ठ वकील इस न्यायालय को यह दिखाने में विफल रहे हैं कि 1963 अधिनियम के किस प्रावधान के तहत वर्तमान मुकदमा दायर किया गया है, जिसमें वास्तविक मालिक को प्रतिवादी-वादी के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करने और पंजीकृत करने का निर्देश देने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग की गई है। इसलिए, याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के विद्वान वकील के तर्क में बल है कि जब मुकदमा स्वयं चलने योग्य नहीं है, तो उत्तरदाता-वादी निषेधाज्ञा की किसी भी विवेकाधीन राहत के हकदार नहीं हैं।

24. याचिकाकर्ता-ग्राम पंचायत के विद्वान वकील के तर्क में भी बल है कि सिविल कोर्ट राजस्व अधिकारियों को उत्परिवर्तन की समीक्षा के लिए उचित आदेश पारित करने से नहीं रोक सकता है, जिसे धारा 41 (बी) के तहत प्रतिवादी-वादी के पक्ष में अवैध रूप से मंजूरी दी गई थी। विशिष्ट राहत अधिनियम. राजस्व अधिकारी कानून के अनुसार आगे बढ़ रहे थे। आदेश अनुलग्नक पीएल 2 विद्वान उपमंडल अधिकारी (सी) भिवानी द्वारा प्रतिवादियों-वादीगणों को सुनवाई का अवसर देने के बाद पारित किया गया था, जिसमें पहले के उत्परिवर्तन संख्या 9387 दिनांक 20 दिसंबर 2001 को रद्द करने की सिफारिश की गई थी। हालांकि उक्त आदेश के खिलाफ दायर अपील विद्वान द्वारा स्वीकार कर ली गई थी कलेक्टर भिवानी और हालांकि- कमिश्नर हिसार डिवीजन हिसार द्वारा पारित आदेश अनुलग्नक पीएल 7 के तहत। कलेक्टर के आदेश को रद्द कर दिया गया और मामले को नए सिरे से तय करने के लिए कलेक्टर भिवानी को भेज दिया गया, यह देखते हुए कि प्रतिवादी-वादी के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा उपहार विलेख निष्पादित और पंजीकृत किए बिना उत्परिवर्तन को गलत तरीके से मंजूरी दे दी गई थी। मामला अभी भी जिलाधीश भिवानी के पास विचाराधीन है। हालाँकि वह इस मामले में निचली अदालतों द्वारा दिए गए स्थगन के मद्देनजर कोई और आदेश पारित नहीं कर सके। फ़ाइल के अवलोकन से पता चलता है कि उपहार के अनुमोदन को रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस भी हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिवादी-वादी को दिया गया है, जो कि अनुलग्नक पीएल 4 है। इसलिए, प्रतिवादी कानून के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं और यह नहीं कहा जा सकता है कि उनका इरादा है उत्तरदाताओं-वादी को विवादग्रस्त संपत्ति से अवैध तरीके से बेदखल करना।

25. जहां तक ग्राम पल्लूवास के कुछ निवासियों द्वारा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव, सरकार की मंजूरी और बाद में उत्परिवर्तन की मंजूरी को चुनौती देने वाली पूर्व रिट याचिका को खारिज करने का सवाल है, उस पर योग्यता के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया था, बल्कि उसे निरर्थक बताकर खारिज कर दिया गया था। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान अधिनियम की धारा 5ए में संशोधन के मद्देनजर और हालांकि, याचिकाकर्ताओं को अधिनियम की उक्त संशोधित धारा 5ए की शक्तियों को चुनौती देने का अवसर दिया गया था। हालाँकि, बाद में हरियाणा सरकार द्वारा एक और संशोधन किया गया - 2007 के अधिनियम संख्या 8 में संशोधन करके और पहले की धारा 5 ए और 5 बी को बहाल कर दिया गया है। हरियाणा संशोधन अधिनियम संख्या 8, 2007 के संशोधन के बाद अधिनियम की धारा 5ए और 5बी इस प्रकार हैं:-

> *"(5ए) पंचायत में निहित या निहित समझी गई भूमि का निपटान - (1) एक पंचायत, ऐसे नियमों और शर्तों पर, जो निर्धारित की जा सकती हैं, इसके तहत अपने में निहित शामलात देह में भूमि को उपहार, बिक्री, विनिमय या पट्टे*

पर दे सकती है। जिस गाँव में ऐसी भूमि स्थित है, उस गाँव के अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के सदस्यों और किसी अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए अधिनियम।

(2) शामलात देह में भूमि का पहले से किया गया उपहार, बिक्री, विनिमय या पट्टा उपधारा (1) के तहत किया गया माना जाएगा।

(5बी) कुछ स्थानांतरण पंचायत के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेंगे।-

(1) निर्धारित नियमों और शर्तों के उल्लंघन में इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में उपहार में दी गई, बेची गई, विनिमय की गई या पट्टे पर दी गई भूमि का कोई भी हस्तांतरण शून्य होगा और उपहार में दी गई भूमि का कोई भी हस्तांतरण, इस प्रकार हस्तांतरित की गई बेची, विनिमय या पट्टे पर दी गई भूमि सभी बाधाओं से मुक्त होकर पंचायत को वापस कर दी जाएगी।

(2) सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, स्वप्रेरणा से या किसी पंचायत या गांव के निवासी या खंड विकास और पंचायत अधिकारी द्वारा उसे दिए गए आवेदन पर, खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड की जांच कर सकता है। इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में निष्पादित किसी भी बिक्री, पट्टे, उपहार, विनिमय, अनुबंध या समझौते की वैधता या औचित्य के संबंध में यदि ऐसी बिक्री, पट्टे, उपहार, विनिमय, अनुबंध या समझौता ग्रामीणों के हित के लिए हानिकारक पाया जाता है और पंचायत के हित में अब इसकी आवश्यकता नहीं है, सरकार ऐसी जांच करने के बाद जो वह उचित समझे, उसे रद्द कर सकती है और बिक्री, पट्टे, उपहार या विनिमय को रद्द करने के लिए किसी भी कानून के तहत कोई अलग कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी। पंचायत ऐसे परिसर का कब्जा लेने के लिए सक्षम होगी, जिसमें उस पर कोई निर्माण भी शामिल है, जिसके लिए कोई मुआवजा देय नहीं होगा।"

26. इसके अलावा, नियमों के नियम 13, जिसके तहत पहले ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था, को भी हरियाणा सरकार द्वारा 3 जनवरी, 2008 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया गया है और संशोधित नियम 13 इस प्रकार है :-

"13. भूमि का उपहार- धारा 5, 5ए और 15.—एक पंचायत राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, अधिनियम के तहत उसमें निहित शामलात देह में भूमि उपहार में दे सकती है-

(i) गांव के निवासियों के लाभ के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आदर्श ग्राम योजना के तहत घरों का निर्माण, सामान्य स्थान बनाना और अन्य सुविधाएं प्रदान करना: और

(ii) (ii) 200 वर्ग गज की सीमा तक आवासीय प्रयोजन, रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों के सदस्यों के लिए, जो गंभीर रूप से घायल हो गए और विकलांग हो गए या ऐसे सदस्यों के आश्रित परिवारों के लिए, जो उनकी सेवा के दौरान किसी युद्ध या उग्रवाद विरोधी अभियान में मारे गए, जिनके पास नहीं है। गरीबी के आधार पर अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सदस्यों के लिए पर्याप्त आवासीय आवास: बशर्ते कि राज्य सरकार उन मामलों में कोई अनुमोदन नहीं देगी जो संबंधित उपायुक्त के माध्यम से प्राप्त नहीं हुए हैं: बशर्ते कि संबंधित उपायुक्त या उपमंडल अधिकारी (नागरिक), जैसा कि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है, उपहार के रूप में शामलात देह में भूमि में से 100 वर्ग गज के आवासीय भूखंड के आवंटन के लिए मंजूरी देने के लिए सक्षम होंगे। अनुसूचित जाति के परिवारों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को आवास-स्थल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के तहत पहचाने गए पात्र परिवार को।"

27. जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, पहले नियम 13 जिसके तहत ग्राम पंचायत द्वारा पहले प्रस्ताव पारित किया गया था, को बीएल वढेरा के मामले (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकारातीत घोषित कर दिया गया है। इसलिए, अधिनियम की धारा 5 ए और 5 बी के नवीनतम प्रावधान और अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के नवीनतम नियम 13 के मद्देनजर, याचिकाकर्ता-ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व प्रस्ताव पारित किया गया था। उत्तरदाताओं-वादी-प्रतिवादियों को एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए किसी भी विचार के बिना विवाद में पड़ी भूमि शून्य और शून्य हो गई है और प्रतिवादी-वादी उक्त संकल्प के तहत विवाद में भूमि पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं और सरकार या सरकार द्वारा उक्त संकल्प को मंजूरी दे दी गई है या उसके अनुसरण में उत्परिवर्तन को मंजूरी देने का विचार दिया हो।

28. जहां तक उत्तरदाताओं-वादी के विद्वान वरिष्ठ वकील की दलील का सवाल है कि इस न्यायालय के पास भारतीय संविधान की संहिता की धारा 115 या अनुच्छेद 227 के तहत इस पुनरीक्षित क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करने की सीमित शक्तियां हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है।

29. हालाँकि, सूर्य देव राय बनाम रानी चांसियर राय और अन्य (8) में प्रथम लॉयर ब्लॉक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून को अच्छी तरह से तय किया गया है कि संहिता की धारा 11 5 में संशोधन के बाद भी, यह न्यायालय नीचे के न्यायालयों द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इसका पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार है यदि त्रुटि कार्यवाही के दौरान स्पष्ट और स्पष्ट हो, जैसे कि जब यह स्पष्ट अज्ञानता या कानून के प्रावधानों की पूरी तरह से उपेक्षा पर आधारित हो या इसके कारण गंभीर अन्याय या न्याय की घोर विफलता हुई हो।

30. मेरे विचार में, वर्तमान एक ऐसा मामला है जिसमें ऊपर की गई विस्तृत चर्चा के मद्देनजर इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक है।

31. जहां तक प्रतिवादी वादी पक्ष के विद्वान वरिष्ठ वकील की दलील है कि सरकार ने विवादित भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी की है और इसे संबंधित न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके प्रतिवादी वादी द्वारा चुनौती दी गई है, तो कहा गया आगामी घटनाक्रम का वर्तमान पुनरीक्षण याचिका के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

32. जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की जा चुकी है, याचिकाकर्ता-ग्राम पंचायत उत्तरवादी-वादी से विवाद में भूमि पर जबरन कब्जा बढ़ाने का इरादा नहीं रखती है। बल्कि प्रतिवादी-वादी द्वारा दायर इस मुकदमे में, वर्तमान याचिकाकर्ता-ग्राम पंचायत ने प्रतिदावे के माध्यम से कब्जे से राहत की मांग की है। याचिकाकर्ता-ग्राम पंचायत संबंधित राजस्व अधिकारियों के समक्ष विवादित उत्परिवर्तन को रद्द करने/समीक्षा करने के लिए भी कानून के अनुसार कार्यवाही कर रही है।

33. प्रथम दृष्टया, जब मुकदमा चलने योग्य नहीं है और सिविल न्यायालय के पास राजस्व अधिकारियों को कानून के अनुसार आगे बढ़ने से रोकने की कोई शक्ति नहीं है। चूंकि 1963 अधिनियम की धारा 41 (बी) के मद्देनजर ऐसी कोई राहत नहीं दी जा सकती है और इसलिए, जब प्रतिवादी-वादी को मुख्य राहत नहीं दी जा सकती है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्हें विज्ञापन के विवेकाधीन विद्रोह की मांग करने का कोई अधिकार है। अंतरिम निषेधाज्ञा. प्रथम दृष्टया मामला प्रतिवादी पक्ष के पक्ष में नहीं बनता है, सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में नहीं है। बल्कि प्रथम दृष्टया मामला याचिकाकर्ता-ग्राम पंचायत के पक्ष में है, सुविधा का संतुलन भी याचिकाकर्ता-ग्राम पंचायत के पक्ष में है। प्रतिवादी-वादी को वास्तविक मालिक यानी याचिकाकर्ता-अनाज पंचायत के खिलाफ निषेधाज्ञा मांगने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत अभी भी विवाद में भूमि का मालिक है और स्वामित्व कानून के अनुसार प्रतिवादी-वादी के पक्ष में हस्तांतरित नहीं किया गया है। पंजीकृत उपहार विलेख.

इसलिए, उन्हें वास्तविक मालिक के खिलाफ निषेधाज्ञा मांगने का कोई अधिकार नहीं है, जो कानून के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कार्यवाही राजस्व अधिकारियों के समक्ष और सरकारी अधिकारियों के समक्ष पहले के उत्परिवर्तन को रद्द करने/समीक्षा करने और सृजन के लिए पहले दी गई मंजूरी को रद्द करने के लिए लंबित है। ग्राम पंचायत द्वारा उत्तरदाताओं-वादीगणों के पक्ष में उपहार और उस संबंध में वित्तीय आयुक्त द्वारा प्रतिवादी-वादीगणों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। इसलिए, प्रतिवादी-वादी को विवादग्रस्त भूमि पर आगे निर्माण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रथम दृष्टया विवादग्रस्त भूमि पर उनका कब्ज़ा कानूनी नहीं है और वे उस पर अनधिकृत कब्ज़ा कर रहे हैं।

34. अर्जित अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने राजस्व अधिकारियों को वाद-विवाद/वादी पक्ष में अवैध रूप से स्वीकृत म्यूटेशन को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए आक्षेपित आदेश पारित करने में अवैधता और भौतिक अनियमितता की है। प्रथमदृष्ट्या आदेश विकृत है।

35. अत: वर्तमान पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है। नीचे दी गई विद्वान अदालतों द्वारा पारित किए गए विवादित आदेशों को रद्द कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप, उत्तरदाताओं-वादी द्वारा दायर अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश के लिए आवेदन खारिज कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता-ग्राम पंचायत की ओर से अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश के लिए दायर आवेदन को स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादी-वादी को कोई भी आगे निर्माण करने और विवाद में संपत्ति में कोई तीसरा अधिकार बनाने से रोका जाता है।

36. हालाँकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यहाँ देखी गई किसी भी बात का विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा योग्यता के आधार पर इस मामले के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आर.एन.आर.

<u>अस्वीकरण:</u>

भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सागर शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूँह, हरियाणा